प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ

सेवा में,

प्रबन्धक,
गंगा प्रसाद सिंह पब्लिक स्कूल गोड़े,सदर
प्रतापगढ

पत्रांक / मान्यता / 6672 – 76 / 2009–10 दिनांक 31 – 07 – 09

विषयः–प्राथमिक स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ से प्राप्त आवेदन पत्र,निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातो पर राजाज्ञा संख्या–984 / 16–6–90–18ए0(7) / 89 दिनांक 28 अप्रैल,1990 एवं राजाज्ञा संख्या–230 / 15–5–96–18 एस(7) / 89 दिनांक 18 जनवरी,1996 तथा राजाज्ञा संख्या–984 / 15–6–98–18 एस(7) / 89 दिनांक 28–4–98 एव राजाज्ञा संख्या–1073 / 15–6–98 –18 एस(7)89 दिनांक 13–7–1998 एवं शासनादेश संख्या –1073 / 15–6–1998 –18 एस0 (7) / 89 दिनांक 10–9–98 में उल्लिखित प्राविधानों / शर्तो के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ की संस्तुति एवं जिला स्तर पर गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 27–07–2009 द्वारा लिये गये निर्णय / संस्तुति पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ आप की संस्था / समिति जी0पी0एस0 समग्र विकास संस्थान,ग्राम पो0 गोड़े जिला–प्रतापगढ़ द्वारा संचालित गंगा प्रसाद सिंह पब्लिक स्कूल गोड़े,सदर प्रतापगढ को प्राथमिक स्तर (कक्षा–1 से 5 तक के कक्षाओं के संचालन) की स्थायी मान्यता आदेश निर्गत तिथि से प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्य गलत पाये जाने पर अथवा विभागीय आदेशों का पालन न किये जाने की दशा में प्रदत्त स्थायी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा। स्थायी मान्यता की शर्ते निम्नवत होगी।

1. विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति किसी भी दशा में मान्य न होगी।
2. संस्था पंजीकृत एवं अद्यावधि नवीनीकृत हो ।
3. विद्यालय् में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाय और न ही अमान्य पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाय।
4. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाय तथा उसका रख रखाव डाकघर / बैंक के माध्यम से रखा जाय।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक / कर्मचारी को वही वेतनमान,महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को दिया जाता है ।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व स्वीकृत के बिना संस्था में कोई अतिरिक्त कक्षा न खोला जायेगा और न ही (कक्षा–1 से 5 तक) संचालित कोई कक्षा बन्द किया जायेगा। संस्था का हस्तानान्तरण एवं समाप्त भी बिना पूर्व स्वीकृत के न किया जाय।
7. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनगरी लिपि" हिन्दी" होगी।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विभागीय आदेशों का पालन समय समय पर किया जायेगा।
9. छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षण सामाग्री, पुस्तकें नक्से,चार्ट आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।
10. यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जाय और कृत कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जाय।

भवदीय,

(अशोक नाथ तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ

पृ0स0 / मान्यता / / 2009–10 दिनांक उक्तवत,

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम / द्वितीय प्रतापगढ।
2–जिला समाज कल्याण अधिकारी,प्रतापगढ।
3–सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सदर,प्रतापगढ।
4–कार्यालय सुरक्षा पत्रावली

(अशोक नाथ तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
1–एन0बी0एस0पब्लिक स्कूल मीरा भवन,
सिविल लाईन, प्रतापगढ़।
2–गंगा प्रसाद सिंह पब्लिक स्कूल गोड़े,
प्रतापगढ़।
3–मार्डन साइन्स जूनियर हाई स्कूल
नया माल गोदाम रोड़, पूरे नरसिंहभान,प्रतापगढ़
4–कमला शिक्षा संस्थान, जूनियर हाई स्कूल,
सदर बाजार, नगर क्षेत्र–प्रतापगढ़।
5–आदर्श बालिका विद्यालय,लवाना भवानीगंज,
प्रतापगढ़।

पत्रांक: शिविर/मान्यता/2236–48 /2006–07 दिनांक– 24/5/2006

बिषय:– अशासकीय जू0हाई स्कूल स्तर (कक्षा–6 से 8 तक) नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक शासनादेश 646/15–6–18डा(7)/89 दिनांक 13.8.97 के अन्तर्गत जू0हा0स्कूलों के नियमों,शर्तो एवं प्रकिया में परिवर्तन के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 20.5.2006 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा–6 से 8 तक की अस्थाई मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है । आप द्वारा उपलब्ध पत्राजातों में किसी भी तथ्य को छिपाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

1.विद्यालय में एक विज्ञान और भाषा का अध्यापक अनिवार्य रूप से होगें ।
2.विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद आरक्षण नियमों के आलोक में भरा जाय ।
3.शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन किया जाय ।
4.विज्ञान मद में प्रत्येक छमाही 250/–जमा किया जाय ।
5.शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जायेगा । तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से स्थानीय डाकघर/बैंकों में जमा किया जायेगा । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग कदापि न किया जाय ।
6.विद्यालय परिषद द्वारा विहित पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाय और न ही ऐसी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग ही किया जाय ।
7.मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक व कर्मचारियों को वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिया जाता है ।
8.समक्ष अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था अथवा कोई कक्ष, उपवर्ग न बन्द किया जायेगा और न रोका जायेगा, न खोला जायेगा और न स्थानान्तरित किया जायेगा ।
9.विद्यालय में शिक्षा माध्यम देवनागरी लिपि "हिन्दी" होगी ।
10.विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों और समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा ।
11.विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित अध्यापक ही रहे, किसी भी दशा में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय ।
12.यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जायेगा और इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय ।
13.विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक होगें जिसमें एक त्रिभाषाध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक होगें । इसके अतिरिक्त एक लिपिक तथा एक अनुचर के पद मान्य किये जाते है। इस प्रकार विद्यालय की कुल जनशक्ति सात की होगी ।

14.शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार का गलत तथ्य / अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर अथवा गलत पाये जाने पर इस निर्णय पर पुनः विचार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा तथा प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12 के अनुसार कार्यवाही वांछित होगी ।

15.अनिवार्य रूप से विद्यालय में पेयजल / मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था हो ।

16.विज्ञान तथा आवश्यक पुस्तकें कम से कम 500 / – मूल्य की उपलब्ध होना आवश्यक है ।

17.सुरक्षित कोष कमशः 2000 / –तथा प्राभूत कोष 10,000–00 को होना आवश्यक है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के नाम से बन्धक हो ।

18.विद्यालय में कीड़ा स्थल व सामग्री नियमानुसार उपलब्ध होना आवश्यक है ।

19.विद्यालय की छात्र संख्या कक्ष के नाप के अनुसार निर्धारित की जाय ।

(डॉ0ब्रजेश मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

पृ0सं0:शिविर / मान्यता / / 2006–07 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम / द्वितीय, प्रतापगढ़।
2–वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, प्रतापगढ़।
3–सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़
5–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद ।
6–कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु ।

(डॉ0ब्रजेश मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

संख्या:–419/79–6–2013–18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ दिनाँक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

GO RP

Scanned with CamScanner

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता,
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय -सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त असहायतित विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें :-

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कम में निर्गत उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

GO RP

Scanned with CamScanner

(क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

(ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

(ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तो को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

(ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (बे0) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

(ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तो को पूर्ण नहीं करते है। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

GO RP

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) मान्यता समिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

1– सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक)	अध्यक्ष
2– सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3– जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल)- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें:-

आवेदन की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

(1) प्री–प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा–1 से 5 तक की कक्षायें)।

(2) प्राइमरी स्तर (कक्षा–1 से 5 तक)।

(3) प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा–1 से 8 तक की कक्षायें)।

(5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-

(1)–निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

00RP 2081/

Scanned with CamScanner

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक–1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तर–4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0 2000/– तथा क्रमांक–3 पर अंकित प्रस्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क रू0 3000/– सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)– विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) की एन0एस0सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड होगी।

(3)– आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किंया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की आपत्तियाँ सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(6) *वित्तीय शर्तें*

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान रू0 20,000/– मूल्य की धनराशि का होगा। वह, संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :–

(1) नकद धनराशि।
(2) सरकारी जमानत।
(3) अचल सम्पत्ति।

टिप्पणी :–

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

Scanned with CamScanner

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि–पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण–पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रू0 5000/– की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(7) मान्यता

आवश्यकता:– (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :–

(क) प्री–प्राइमरी तथा प्राइमरी	200 (07 कक्षायें)
(ख) प्राइमरी	150 (05 कक्षायें)
(ग) प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल	275 (10 कक्षायें)
(घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल	225 (08 कक्षायें)

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन–पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन–पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

GO KP

Scanned with CamScanner

(8) *भौतिक संसाधन*

(1) भवन

(क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

(ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चें कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्रओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(ग) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ङ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(च) विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(2) क्रीड़ा स्थल

खेलकूद के लिये यथा संभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, वालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

विशेष :-

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आवादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहां स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। कीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(3) साज–सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बेंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुसी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।

(4) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा–5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा–5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा–8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(5) विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

(6) शिक्षण सामग्री

प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

(9) मानव संसाधन

स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्ते

(क) प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 की धारा–6 के प्रस्तर–15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा–कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक–एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

Scanned with CamScanner

कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

शुल्क

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :-

1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विकास शुल्क, 4- बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6- विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8- क्रीड़ा शुल्क, 9- परीक्षा/मूल्यांकन, 10-विद्यालय समारोह/उत्सव, 11- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर / संगीत आदि।

नोट :-

1- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।

2- मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नही होगा।

3- विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(10) शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लम्बित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोटः- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु

Scanned with CamScanner

कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(11) *शैक्षिक सत्र 2014–15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:–*

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप–1 के अनुसार स्वघोषणा–सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय–सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:–

1.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	सितम्बर प्रथम सप्ताह
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	15 सितम्बर से 31 अक्टूबर
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	नवम्बर से दिसम्बर
5.	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।	जनवरी–फरवरी
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	मार्च
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट:– मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(12) *मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–*

शैक्षिक सत्र 2014–15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(13) *विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :–*

जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त

Scanned with CamScanner

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:—,

(क)— विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख)— निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय प्रबन्धतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(ग) समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगें।

(घ) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

GO RP

Scanned with CamScanner

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता हैं तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों / शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार

अब तीन साल बाद स्वतः स्थाई होगी मान्यता

जासं,वाराणसी: बेसिक शिक्षा विभाग से अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्थाई मान्यता के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। तीन साल बाद स्वतः उन्हें स्थाई मान लिया जाएगा। बशर्ते उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में पहले तीन वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता देता है। तीन वर्ष बाद स्थाई मान्यता के लिए निजी विद्यालयों को दोबारा आवेदन करना पड़ता था। ऐसे में उन्हें एक बार फिर मान्यता संबंधित समस्त पत्रावलियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जमा करनी पड़ती थी। मान्यता समिति की संस्तुति के बाद निजी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी की जाती थी। जनपद में ऐसे करीब सौ विद्यालयों की स्थाई वैधता की मान्यता 30 जून-2021 को समाप्त हो गई थी।

इन विद्यालयों ने स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है। यही नहीं तमाम विद्यालय अब भी स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें बीएसए कार्यालय की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं हैं। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि आरटीई में अब अस्थाई मान्यता का प्रावधान खत्म कर दिया है। मान्यता की शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। ऐसे में जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उन्हें नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

निजी विद्यालय

- अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं
- गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न होने पर ही मिलेगा इसका लाभ

न्यूनतम पांच केंद्रों पर हो मोहल्ला क्लास का संचालन

जासं, वाराणसी : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीएसए ने कई निर्देश दिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक को निर्देशित किया कि हंड्रेड डेज कैंपेन का वृहद आयोजन विद्यालय के समीप क्षेत्रों में कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय के समीप कम से कम पांच केंद्रों पर मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन कराया जाए।